


पत्र संख्या: 974-ई/ हित/ कोविड-19/ज०व०
दिनांक: 02.05.2021

सभी अधिकारीगण, जगाधरी वर्कशॉप।
सहायक निर्माण प्रबंधक, कालका वर्कशॉप ।

विषय- हरियाणा लॉकडाउन - जगाधरी एवं कालका वर्कशॉप गतिविधि।

कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में 03.05.2021 से लगाए गए लॉकडाउन निर्देश को देखते हुए जगाधरी एवं कालका कारखाना दिनांक 03.05.2021 को बंद रहेगा। इंडस्ट्रियल गतिविधियों को चलाने के लिए हरियाणा सरकार के अग्रिम आदेश प्राप्त होने उपरांत जगाधरी एवं कालका वर्कशॉप को खोलने का अग्रिम निर्णय कल दोपहर के बाद लिया जाएगा तथा तदनुसार सूचना जारी कर दी जाएगी।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।



कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक,
उत्तर रेलवे, जगाधरी वर्कशॉप।

प्रतिलिपी/ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. सभी वरि० खण्ड अभि० एवं सभी मुख्य कार्यालय अधी०- ज०व० एवं कालका वर्कशॉप।
2. सचिव एनआरएमयू (यांत्रिक एवं विध्युत शाखा) - ज०व० एवं कालका वर्कशॉप।
3. सचिव यूआरएमयू (यांत्रिक एवं सामान्य शाखा) - ज०व० एवं कालका वर्कशॉप।
4. सचिव एस सी/ एस टी एवं ओ बी सी असोसिएशन - ज०व० एवं कालका वर्कशॉप।